2004:CGHC:555

प्रकाशन हेतु अनुमोदित
5/10/04

<u>उच्च न्यायालय बिलासपुर (छत्तीसगढ़)</u>

<u>(खंडपीठ)</u>

<u>रिट याचिका संख्या 2448/2004</u>

डॉ. मनोज कुमार गोयल और अन्य

–बनाम–

छत्तीसगढ़ राज्य और 2 अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आदेश विचारण हेतु

सही /–
एल.सी. भादू
न्यायाधीश
01.10.204

माननीय मुख्य न्यायाधिपति

सही /–
मुख्य न्यायाधीश
03.10.2004

दिनांक 5 अक्टूबर के लिए आदेश सूचीबद्ध करें

सही /–
एल.सी. भादू
न्यायाधीश
04.10.204

2004:CGHC:555

उच्च न्यायालय बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

युगल पीठ

माननीय श्री ए.एस.वी. मूर्ति, मुख्य न्यायाधिपति

और माननीय श्री एल. सी. भादू, न्यायाधीश

रिट याचिका संख्या 2448/2004

डॉ. मनोज कुमार गोयल और अन्य
–बनाम–

छत्तीसगढ़ राज्य और 2 अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

श्री पी. दिवाकर, अधिवक्ताः	याचिकाकर्ताओं के लिए
श्री प्रशांत मिश्रा, अतिरिक्त महाधिवक्ताः	राज्य/ उत्तरवादी के लिए

आदेश

(5 अक्टूबर, 2004 को पारित)

माननीय न्यायमूर्ति एल. सी. भादू द्वारा न्यायालय में निम्नलिखित आदेश पारित किया गयाः–

याचिकाकर्ताओं ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अधीन निम्नलिखित राहतें मांगने के लिए यह रिट याचिका दायर की है –

(i) कि उत्तरवादीगण को उन उम्मीदवारों की प्रतीक्षा सूची प्रकाशित करने का निर्देश दिया जाए, जिनमें याचिकाकर्ता भी शामिल हैं, जिन्होंने वर्ष 2004, 2005 और 2006 के लिए 9–7–2004 को आयोजित काउंसलिंग में इसके लिए विकल्प चुना था ताकि यह सभी उम्मीदवारों को ज्ञात हो सके और यह उन्हें अपनी भविष्य की कार्रवाई तय करने में सक्षम बनाएगा ।

(ii) उन्हें प्रतीक्षा सूची में सीटों के बारे में याचिकाकर्ताओं को सूचित करने का निर्देश दिया जाए।

(iii) उन्हें आगे निर्देश दिया जाए कि जब भी किसी कारण से कोई सीट खाली हो, तो रिक्त सीटों को भरा जाए ।

(iv) उन्हें आगे निर्देश दिया जाए कि सहायक सर्जन कोटे की 13 सीटों को अनारक्षित श्रेणी में परिवर्तित करके उनके संबंध में काउंसलिंग आयोजित की जाए, और

(v) उन्हें आगे निर्देश दिया जाए कि प्रतीक्षा सूची के उम्मीदवारों के संबंध में वर्ष 2005 और 2006 के लिए अलग से काउंसलिंग आयोजित की जाए।

(2) याचिकाकर्ताओं का मामला यह है कि वे वर्ष 2004, 2005 और 2006 के लिए 22 मई 2004 को आयोजित प्री–पी.जी. परीक्षा पाठ्यक्रम में उपस्थित हुए थे जो उत्तरदाता संख्या 2 द्वारा आयोजित किया गया था। परिणाम 26–5–2004 को घोषित किया गया था और याचिकाकर्ताओं ने याचिका के पैरा 5.3 में उल्लिखित रैंक प्राप्त किए थे। काउंसलिंग 29 और 30 मई 2004 को आयोजित की जानी थी, लेकिन न्यायिक हस्तक्षेप के कारण इसे आयोजित नहीं किया जा सका। लेकिन, काउंसलिंग 9 जुलाई 2004 को आयोजित की गई। याचिकाकर्ताओं को काउंसलिंग में बुलाया गया था, लेकिन काउंसलिंग के दौरान, जैसा कि उन्हें अपनी पसंद के विषय नहीं मिल रहे थे, इसलिए उन्होंने 2005–2006 की प्रतीक्षा सूची में रहना पसंद किया ताकि जब भी कोई सीट खाली हो, तो उन्हें अपनी पसंद का विषय मिल सके, लेकिन उत्तरदाता प्रतीक्षा सूची प्रकाशित नहीं कर रहे हैं, वे याचिकाकर्ताओं को उनकी सटीक स्थिति के बारे में सूचित नहीं कर रहे हैं और यहां तक कि वे यह बताने के लिए भी आगे नहीं आ रहे हैं कि 2005 और 2006 में उत्पन्न होने वाली रिक्त पदो के विरुद्ध याचिकाकर्ताओं पर विचार किया जाएगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(3) दूसरी ओर, उत्तरवादीगण की ओर से एक प्रत्युत्तर दायर किया गया है जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि काउंसलिंग की अंतिम तिथि 9 जुलाई 2004 थी, उस दिन सभी सीटें भर गई थीं और शाम 5 बजे तक प्रतीक्षा सूची समाप्त हो गई थी। इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं ने प्रतीक्षा सूची में बने रहने के लिए लिखित में नहीं दिया था। नियमों में सहायक सर्जन कोटे को सामान्य श्रेणी की सीटों में बदलने

के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है। चूंकि प्रतीक्षा सूची समाप्त हो गई है, इसलिए याचिकाकर्ताओं को वर्ष 2005 और 2006 के लिए काउंसलिंग के लिए आमंत्रित नहीं किया जा सकता है और यह परीक्षा 2004 के नियमों के नियम 11 के प्रावधानों के खिलाफ होगा।

(4) याचिकाकर्ताओं की ओर से एक जवाबी हलफनामा दायर किया गया है जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि यह कहना गलत है कि याचिकाकर्ताओं ने प्रतीक्षा सूची का विकल्प नहीं चुना था। काउंसलिंग के समय भी याचिकाकर्ताओं ने एक फॉर्म भरा था और उन्होंने प्रतीक्षा सूची में रहने के लिए लिखित में संकेत देते हुए उस पर अपने हस्ताक्षर किए थे। काउंसलिंग समिति ने भी इसकी पुष्टि करते हुए फॉर्म पर अपने हस्ताक्षर किए थे। उम्मीदवारों के रैंक और रोल नंबर वाली वही प्रतीक्षा सूची काउंसलिंग के समय प्रदर्शित की गई थी। काउंसलिंग में उपस्थित प्रत्येक उम्मीदवार इस तथ्य का गवाह है क्यूँकि प्रतीक्षा सूची सभी उम्मीदवारों द्वारा देखी गई है। काउंसलिंग में, समिति ने प्रतीक्षा सूची (अनुलग्नक R/3) तैयार की थी। यह माना जाना चाहिए कि काउंसलिंग समिति ने नियम 10.16 के अधीन सूची तैयार की थी अन्यथा प्रतीक्षा सूची तैयार करने और उसे प्राप्त करने का कोई उद्देश्य नहीं था। यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि उत्तरवादीगण द्वारा दायर प्रतीक्षा सूची (अनुलग्नक R/3) में दिखाए गए अनुसार 36 उम्मीदवारों ने 2005 और 2006 सत्रों के लिए विकल्प चुना है और याचिकाकर्ता उनमें से हैं। एक बार प्रतीक्षा सूची की इस स्थिति और विकल्प चुनने वाले उम्मीदवारों के अधिकार को स्वीकार करने के बाद उत्तरदाता, याचिकाकर्ताओं के मामले में विरुद्ध नहीं हो सकते हैं।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(5) दोनो पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया।

(6) पक्षों के निवेदन और उनके अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों के आधार पर, इस न्यायालय के निर्णय के लिए निम्नलिखित प्रश्न उत्पन्न होते हैं: –

(i) "क्या याचिकाकर्ता 2005 और 2006 में कोई सीट खाली होने पर प्रतीक्षा सूची के उम्मीदवार के रूप में प्रवेश के हकदार हैं, क्योंकि याचिकाकर्ताओं ने नियम 10.16 के अधीन प्रतीक्षा सूची का विकल्प चुना है? "

(ii) "क्या याचिकाकर्ता 2005 और 2006 के दौरान कोई सीट खाली होने पर प्रवेश के हकदार हैं, क्योंकि यह नियम 11 में निर्धारित नियमों और शर्तों के विपरीत नहीं होगा?" (iii) "क्या सहायक सर्जन कोटा सीटें, जो उस श्रेणी के पात्र उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के कारण रिक्त रह गईं, को सामान्य श्रेणी की सीटों में परिवर्तित किया जा सकता है?"

(7) अब प्रश्न बिंदु संख्या (i) का संबंध है, इस संबंध में स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा का नियम 7 यह बताता है कि 'वर्ष 2004 में प्री–पी.जी. परीक्षा वर्ष 2004 में शुरू होने वाले सत्र, वर्ष 2005 में शुरू होने वाले सत्र और वर्ष 2006 में शुरू होने वाले सत्र के लिए प्रवेश के लिए आयोजित की जाएगी'। इसलिए, इन नियमों की व्याख्या करते समय, हमें यह ध्यान रखना होगा कि परीक्षा 2004, 2005 और 2006 के प्रथम वर्ष स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए आयोजित की गई थी। इसके बाद, नियम 9 आता है जो योग्यता सूची और प्रतीक्षा सूची से संबंधित है। नियम 9.3 यह बताता है कि 'प्रतीक्षा सूची यह योग्यता सूची में निचले रैंक पर रखे गए पात्र उम्मीदवारों की सूची है। जब काउंसलिंग के समय उपलब्ध सभी सीटें संबंधित श्रेणियों में योग्यता सूची में रखे गए उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त कर ली जाती हैं, तो योग्यता सूची में शेष उम्मीदवारों को प्रतीक्षा सूची में माना जाएगा। ऐसे उम्मीदवारों पर तभी विचार किया जाएगा जब काउंसलिंग की अंतिम तिथि से पहले कोई सीट खाली हो जाती है'। नियम 10 काउंसलिंग के बारे में है और फिर नियम 10.16 पर आते हैं जिसमें यह बताया गया है कि 'एक उम्मीदवार जो काउंसलिंग के समय उपलब्ध किसी भी सत्र, विषय और पाठ्यक्रम में अपनी योग्यता के अनुरूप प्रवेश नहीं लेना चाहता है, वह लिखित में ऐसा संकेत दे सकता है। ऐसे उम्मीदवार काउंसलिंग के समय उपलब्ध सभी सीटों पर प्रवेश के अपने अधिकार को त्याग देगा और उसे किसी भी विषय में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

(8) इस नियम का अगला भाग यह बताता है कि 'ऐसे उम्मीदवार को प्रवेश के लिए फिर से विचार किया जाएगा यदि काउंसलिंग की अंतिम तिथि से पहले बाद की काउंसलिंग के समय किसी भी पाठ्यक्रम और विषय में कोई सीट खाली हो जाती है। प्रतीक्षा सूची काउंसलिंग की अंतिम तिथि को शाम 5 बजे समाप्त

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

हो जाएगी। इस तिथि के बाद खाली होने वाली सीटों के लिए प्रवेश के लिए किसी भी आवेदन पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा'।

(9) नियम 10.17 यह बताता है कि यदि किसी विषय में कोई सीट खाली रहती है या खाली हो जाती है, तो उसे प्रतीक्षा सूची से योग्यता के क्रम में सख्ती से बाद की काउंसलिंग द्वारा उसी तरह भरा जाएगा जैसा कि ऊपर उल्लिखित है। प्रतीक्षा सूची में उम्मीदवारों के लिए बाद की काउंसलिंग की तारीखें उन्हें पंजीकृत डाक द्वारा सूचित की जाएंगी और निदेशक चिकित्सा शिक्षा कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित की जाएंगी। ऐसी रिक्त सीटों को भरते समय, पहले से ही किसी भी विषय में प्रवेश की पेशकश किए गए उम्मीदवारों पर विचार नहीं किया जाएगा और प्रतीक्षा सूची में उम्मीदवारों पर केवल काउंसलिंग की अंतिम तिथि तक विचार किया जाएगा। नियम 10.18 यह बताता है कि ऑल इंडिया कोटा से आत्मसमर्पण/ वापस की गई सीटें विभिन्न श्रेणियों जैसे कि अनारक्षित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों में उसी अनुपात में विभाजित की जाएंगी जैसा कि राज्य सीटों के लिए निर्धारित है। इन आत्मसमर्पण/वापस की गई ऑल इंडिया कोटा की सीटों का विषयवार वितरण विभिन्न श्रेणियों के बीच लॉटरी द्वारा किया जाएगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(10) उत्तरवादीगण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि चूंकि न्यायालय के आदेश के अनुसार काउंसलिंग की अंतिम तिथि 9 जुलाई 2004 थी। उस दिन सभी प्रवेश पूरे हो गए थे, इसलिए प्रतीक्षा सूची उस दिन शाम 5 बजे समाप्त हो गई थी, इसलिए याचिकाकर्ता 2005 और 2006 के सत्रों के लिए विचार किए जाने के हकदार नहीं हैं। लेकिन, हम इस सुविचारित राय के हैं कि उत्तरवादीगण के विद्वान अधिवक्ता की यह व्याख्या नियमों की योजना के विपरीत है क्योंकि जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है कि परीक्षा तीन सत्रों अर्थात् 2004, 2005 और 2006 के लिए आयोजित की गई थी। यदि उत्तरवादीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्क को स्वीकार कर लिया जाता है, तो यह इन नियमों के उद्देश्य और लक्ष्य के विपरीत होगा। यदि 2005 और 2006 के सत्र के लिए कोई ऑल इंडिया कोटा सीट या अन्य सीट खाली हो जाती है, तो उत्तरदाता उन सीटों को भरने के हकदार नहीं होंगे यदि कोई

प्रतीक्षा सूची नहीं है और वे सीटें खाली रह जाएंगी। यह कभी भी नियम बनाने वाले प्राधिकरण का इरादा नहीं हो सकता है। समय–समय पर, राज्य सरकार यह तर्क दे रही है कि यह राज्य एक पिछड़ा राज्य है, राज्य का लगभग 60% से अधिक क्षेत्र आदिवासी, अनुसूचित जाति और ओ.बी.सी. द्वारा बसा हुआ है और 40% क्षेत्र जंगल से ढका हुआ है, डॉक्टरों की कमी के कारण राज्य सरकार उस क्षेत्र में डॉक्टरों को तैनात करने में असमर्थ है, जबकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 47 के अधीन सरकार का यह कर्तव्य है कि वह अपने नागरिकों के स्वास्थ्य में सुधार का ध्यान रखे। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि नियम बनाने वाले प्राधिकरण, नियम बनाते समय, इस विचार के थे कि भले ही 2005 और 2006 के सत्र के लिए कोई सीट खाली हो जाती है, तो उसे भरा नहीं जाएगा और वह खाली रहेगी। यदि विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता की व्याख्या की अनुमति दी जाती है, तो भले ही 83 छात्रों के लिए बुनियादी ढांचा सुविधाएं उपलब्ध हैं, रिक्त सीटों को नहीं भरा जा सकता है जिसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक हित को नुकसान होगा और राज्य को वित्तीय नुकसान होगा।

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(11) यह सच है कि जहां तक 2004 के सत्र का संबंध है, प्रवेश 9 जुलाई 2004 को बंद कर दिए गए थे और इस वर्ष के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के दिशानिर्देशों के दृष्टिकोण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मधु सिंह के फैसले के बाद कोई अन्य प्रवेश पर विचार नहीं किया जा सकता है। यदि हम नियम 7, 9.3, 10.16 और 10.17 को एक साथ पढ़ते हैं, तो नियम बनाने वाले अधिकारी का इरादा यह था कि उत्तरवादीगण को 2005 और 2006 के सत्रों के लिए भी प्रतीक्षा सूची बनाए रखनी चाहिए, ताकि जब भी ऑल इंडिया कोटा वापस आती है या किसी भी कारण से 2005 और 2006 के सत्रों के लिए प्रवेश दिए गए उम्मीदवार उपस्थित नहीं होते हैं, तो उन सीटों को ऐसी प्रतीक्षा सूची से भरा जाना चाहिए। इसलिए, उपरोक्त नियमों की उचित व्याख्या और समझ की जानी चाहिए या इस तरह से पढ़ा जाना चाहिए जो वास्तविक उद्देश्य और अर्थ को जमीनी वास्तविकताओं के अनुरूप और इस आलोक में पूरा करता है कि परीक्षा 3 सत्रों अर्थात् 2004, 2005 और 2006 के लिए आयोजित की गई थी। **निर्वचन का स्थापित नियम यह है कि क़ानून और नियम की इस तरह से व्याख्या की जानी चाहिए जो नियम के अर्थ, उद्देश्य और लक्ष्य को पूरा करता है।** यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि इस वर्ष ही 14 सीटें

ऑल इंडिया कोटा से वापस आ गईं, क्योंकि कोई उम्मीदवार उपलब्ध नहीं थे। इसी तरह, सहायक सर्जन कोटे के विरुद्ध 13 सीटें भी पात्र उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के कारण तीनों वर्षों के लिए खाली रह गईं। इसलिए, उत्तरवादीगण को 2005 और 2006 के सत्र के लिए प्रतीक्षा सूची बनाए रखने की आवश्यकता है। यदि सत्र शुरू होने से पहले ऑल इंडिया कोटा से वापस आने या किसी अन्य कारण से कोई सीट खाली हो जाती है, तो उत्तरवादीगण को प्रतीक्षा सूची की योग्यता के अनुसार सख्ती से काउंसलिंग आयोजित करनी चाहिए और उन खाली सीटों को भरना चाहिए।

(12) याचिकाकर्ताओं का मामला यह है कि जब 2004 के सत्र के लिए काउंसलिंग के दौरान उन्हें अपनी पसंद का विषय नहीं मिल सका, तो उन्होंने 2005 और 2006 के सत्रों के लिए प्रतीक्षा सूची में रहकर एक परिकलित जोखिम उठाया, ताकि जब भी ऑल इंडिया कोटा की कोई सीट खाली हो या किसी अन्य कारण से वे अपनी पसंद के विषय के लिए जाएं और इसलिए उन्होंने प्रतीक्षा सूची में रहना पसंद किया। जवाबी हलफनामे में, याचिकाकर्ताओं ने विशेष रूप से उल्लेख किया है कि, काउंसलिंग के समय याचिकाकर्ताओं ने एक फॉर्म भरा था और उस पर अपने हस्ताक्षर किए थे जिसमें लिखित रूप में (प्रतीक्षा सूची के लिए चुना) संकेत दिया गया था। काउंसलिंग समिति ने भी इसकी पुष्टि करते हुए फॉर्म पर अपने हस्ताक्षर किए थे। उम्मीदवारों के रैंक और रोल नंबर वाली वही प्रतीक्षा सूची उम्मीदवारों की संख्या काउंसलिंग के समय प्रदर्शित की गई थी। काउंसलिंग में उपस्थित प्रत्येक उम्मीदवार इस तथ्य का गवाह है क्योंकि प्रतीक्षा सूची सभी उम्मीदवारों द्वारा देखी गई है। इस तथ्य को उत्तरवादीगण ने जवाब दाखिल करके अस्वीकार नहीं किया है। उत्तरवादीगण के विद्वान अधिवक्ता ने केवल यह तर्क दिया कि नियम 10.16 के अनुसार याचिकाकर्ताओं को प्रतीक्षा सूची में बने रहने के लिए लिखित में देना आवश्यक था। चूंकि उन्होंने लिखित में नहीं दिया था, इसलिए वे इसके हकदार नहीं हैं। हमें उत्तरवादीगण के विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क में कोई दम नहीं मिलता क्योंकि जवाबी हलफनामे के अनुसार याचिकाकर्ताओं ने विशेष रूप से कहा था कि उन्होंने एक फॉर्म भरा था, प्रतीक्षा सूची का विकल्प चुना था और उस पर उनके और समिति द्वारा भी हस्ताक्षर किए गए थे। दूसरा कारण यह है कि उत्तरवादीगण के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क नहीं दिया है कि अन्य उम्मीदवारों ने प्रतीक्षा सूची में बने

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रहने के लिए लिखित में दिया था और याचिकाकर्ताओं ने लिखित में नहीं दिया था। याचिकाकर्ता अभी भी प्रतीक्षा सूची में हैं। इसलिए, हम इस सुविचारित राय के हैं कि याचिकाकर्ताओं को प्रतीक्षा सूची के उम्मीदवार के रूप में विचार किए जाने का अधिकार है।

(13) विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता ने तर्क दिया कि यदि याचिकाकर्ताओं को प्रतीक्षा सूची में रखा जाता है, तो भी नियम 11 के अनुसार वे 2005 और 2006 के सत्रों के लिए प्रवेश के हकदार नहीं होंगे। नियम 11.1.1.6 यह बताता है कि यदि उम्मीदवार वर्ष 2005 में शुरू होने वाले सत्र में एक विषय और पाठ्यक्रम का चयन करता है और उसने एक वर्ष की ग्रामीण सेवा पूरी कर ली है, तो 2005 का सत्र शुरू होने से पहले उसे एक वर्ष की ग्रामीण सेवा पूरी करनी होगी। नियम 11.1.1.7 यह बताता है कि यदि उम्मीदवार ने एक वर्ष की ग्रामीण सेवा भी पूरी नहीं की है, तो 2005 का सत्र शुरू होने से पहले उसे एक वर्ष की ग्रामीण सेवा पूरी करनी होगी और शेष एक वर्ष की सेवा वह पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद पूरी करेगा। उस उद्देश्य के लिए उसे 75,000/- रुपये का बांड प्रस्तुत करना होगा। नियम 11.1.1.8 के अनुसार यदि उम्मीदवार वर्ष 2006 में शुरू होने वाले सत्र में एक विषय और पाठ्यक्रम का चयन करता है और उसने दो साल की ग्रामीण सेवा पूरी नहीं की है, तो 2006 का सत्र शुरू होने से पहले उम्मीदवार को दो साल की ग्रामीण सेवा पूरी करनी होगी और यदि उसने एक वर्ष पूरा कर लिया है, तो उसे सत्र शुरू होने से पहले एक वर्ष की ग्रामीण सेवा पूरी करनी होगी। विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता ने तर्क दिया कि चूंकि याचिकाकर्ता प्रवेश नहीं ले रहे हैं और यदि उन्होंने उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार ग्रामीण सेवा पूरी नहीं की है, तो वे प्रवेश के हकदार नहीं होंगे। प्रवेश के हकदार नहीं होंगे। लेकिन, हमें इस तर्क में कोई योग्यता नहीं मिलती क्योंकि याचिकाकर्ता प्रतीक्षा सूची के उम्मीदवार हैं। ये प्रावधान उन पर तभी लागू हो सकते हैं जब उन्हें प्रवेश दिया जाता है। नियम 11 तभी लागू होता है जब उम्मीदवार को प्रवेश दिया गया हो और इस उद्देश्य के लिए यदि याचिकाकर्ताओं को 2005 और 2006 के किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जाता है, तो उस दिन से नियम 11 उन पर लागू किया जा सकता है और वे नियम 11 के अनुसार दो साल की ग्रामीण सेवा पूरी करने का वचन देंगे। यदि किसी उम्मीदवार ने एक वर्ष की सेवा भी पूरी नहीं की है और उसे 2005 या 2006 के सत्र में प्रवेश दिया जाता है, तो वह

नियमों के अनुसार एक बांड प्रस्तुत करेगा और वह पी.जी. पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद ग्रामीण सेवा पूरी करेगा। इसलिए, यह नियम 2005 और 2006 के सत्र के लिए प्रवेश के लिए प्रतीक्षा सूची बनाए रखने में याचिकाकर्ताओं के रास्ते में नहीं आएगा।

(14) यह स्वीकार्य स्थिति है कि इन नियमों में कठिनाई को दूर करने के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। यदि सहायक सर्जन अपने कोटा सीटों को भरने के लिए उपलब्ध नहीं हैं, तो सहायक सर्जन कोटा की खाली सीटों का क्या होगा। यह भी स्वीकार्य स्थिति है कि तीन वर्षों, यानी 2004, 2005 और 2006 के दौरान लगभग 13 सहायक सर्जन कोटा सीटें पात्र उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के कारण खाली हैं और इन खाली सीटों को भरने के लिए नियमों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि राजस्थान, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के नियमों में इन सहायक सर्जन कोटा सीटों को सामान्य कोटा में बदलने का प्रावधान किया गया है यदि सहायक सर्जन कोटा की कोई सीट खाली रह जाती है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि मध्य प्रदेश में भी सहायक सर्जन कोटा की खाली सीटें सामान्य श्रेणी में वापस आ रही हैं। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है कि यह एक पिछड़ा राज्य है और मेडिकल कॉलेजों में 83 सीटों के लिए बुनियादी ढांचा बनाया गया है, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए डॉक्टर भी उपलब्ध नहीं हैं, भारत के संविधान के अनुच्छेद 47 के अनुसार राज्य अपने लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में से मानेगा, जब बुनियादी ढांचा उपलब्ध है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि बुनियादी ढांचा बेकार न जाए और सार्वजनिक हित को नुकसान न हो; उत्तरदाता उपलब्ध सभी सीटों को भरने के संवैधानिक दायित्व के अधीन हैं। इसलिए, उत्तरवादीगण को सभी खाली सीटों को भरना चाहिए, यहां तक कि सहायक सर्जन कोटा सीटों को भी उन्हें सामान्य कोटा सीटों में परिवर्तित करना चाहिए।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(15) जहां तक 2004 के सहायक सर्जन कोटा की 4 खाली सीटों का सवाल है, तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, अब मधु सिंह के मामले के अनुसार इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती

क्योंकि सत्र जुलाई 2004 में पहले ही शुरू हो चुका है और अब हम अक्टूबर 2004 में हैं, इसलिए मध्य सत्र में प्रवेश की अनुमति एम.सी. आई. के दिशानिर्देशों के अनुसार नहीं दी जा सकती है। लेकिन, हालांकि, उत्तरवादीगण को निर्देश दिया जाता है कि वे 2005 और 2006 की सहायक सर्जन कोटा की खाली सीटों को सामान्य श्रेणी की सीटों में परिवर्तित करके भरें। याचिकाकर्ताओं की यह प्रार्थना कि प्रतीक्षा सूची प्रकाशित की जानी चाहिए, उचित, तर्कसंगत और न्यायसंगत है। उत्तरवादीगण को स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के मामले में पारदर्शिता बनाए रखनी चाहिए और उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उत्तरवादीगण को संबंधित उम्मीदवारों की योग्यता के अनुसार सख्ती से प्रतीक्षा सूची प्रकाशित करने का निर्देश दिया जाता है और इसे आज से 7 दिनों की अवधि के भीतर नोटिस बोर्ड पर प्रकाशित किया जाना चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(16) परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ताओं की याचिका स्वीकार की जाती है। उत्तरवादीगण को 7 दिनों की अवधि के भीतर योग्यता के क्रम में सख्ती से प्रतीक्षा सूची प्रकाशित करने और 2005–2006 सत्र के शुरू होने के समय उपलब्ध खाली सीटों के विरुद्ध प्रवेश के लिए उन पर विचार करने का निर्देश दिया जाता है। पहले 100 प्रतीक्षा सूची उम्मीदवारों को व्यक्तिगत रूप से डाक द्वारा भी सूचित किया जाए ताकि सभी प्रतीक्षा सूची उम्मीदवारों को अपनी स्थिति के बारे में पता चल सके और वे अपनी भविष्य की कार्रवाई तय कर सकें।

(17) पक्षकारों को अपना वाद व्यय स्वयं वहन करने का निर्देश दिया जाता है।

सही/–

मुख्य न्यायाधिपति

सही/–

एल.सी. भादू

न्यायाधीश

2004:CGHC:555

अस्वीकरणः

हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By MANISH CHANDRAKAR (Advocate)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur